

१०

प्रकरण क्रमांक:- III / कारण / राजस्थान / २७/२०१८ / 1621
/ 2018

सत्यप्रभा पाठक पति हरिगोविन्द पाठक साकिम ढोगा पेशा गृहणी / कृषि
तहरील देवसर जिला सिंगरौली (म.प्र) ————— आवेदिक / निगरानीकर्ता

बनाम

म.प्र.शारान द्वारा उल्लेखनीय ————— अनावेदक / गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी आवेदन आदेश विरुद्ध न्यायालय
श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा श्रृंखला
न्यायालय सीधी सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक
396 / 2017-18 अप्रैल में पारित आदेश
दिनांक 09.01.2018 साथ ही आदेश विरुद्ध
न्यायालय कलेक्टर सिंगरौली के प्रकरण क्र.
7 अप्रैल 16-17 आदेश दिनांक 11.12.2017
एवं उपर्युक्त अधिकारी देवसर जिला
सिंगरौली के प्रकरण क्र. 90 / 3-2 / 16-17
में पारित आदेश दिनांक 29.09.2017 से
व्यथित होकर प्रस्तुत है।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू-राजरव

— 2 —

— २ —

(४)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-मवातियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक/दो/बिग/सिंगरी/भूरा/2018/16५।।

लिपिभूमि बनाम शासन

मानन तथा दिनांक

कायेतही तथा आदेश

प्रश्नान्वय एवं असिध्यानको
मार्ग के दर्शान्वय

06-07-18

आवेदक के अधिवक्ता श्रीएस0के0वाजपेई उपस्थिता अनावेदक के अधिवक्ता श्री सिराज कुरेशी उपस्थित हुए उभय पक्ष को कायमी पर सुना गया प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा प्रकरण का अवलोकन किया अपर आयुक्त रीवा व्हारा पारित आलौच्य आदेश दि० 09/04/18 में उल्लिखित किया है कि ललितपुर सिंगरीली नगू ऐल्वे लाङ्गन से प्रस्तावित भूमि के अर्जन की प्रारंभिक अधिसूचना जारी हो जाने के उपरांत प्रभावित भूमि के व्यापर्वतन कार्यवाही किया जाना औतन्त्यहीन है इसी तथ्य के आधार पर अपर आयुक्त व्हारा आलौच्य आदेश पारित का प्रकरण कायमी के बिन्दु पर ही समाप्त किया गया है प्रकरण की भूमि ऐल्वे लाङ्गन से संबंधित होकर सार्वजनिक पर्योजना हेतु उपयोगी है तथा आवेदक ने नोटिफिकेशन के उपरांत व्यपर्वतन चाहा है जो औचित्यहीन है

अतः अपर आयुक्त रीवा व्हारा पारित आलौच्य आदेश में किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता प्रतीत नहीं होती है प्रथमदृष्ट्या प्रकरण में सुनवाई योग्य पर्याप्त आधार नहीं होने से प्रकरण अवाह्य किया जाता है

मानन तथा दिनांक
राज्यव्यवस्था विभाग
दिनांक: 06-07-18